राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार। आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आज मूल आपराधिक प्रकरण क्रमांक 135 / 2008 रंजीत सिंह विरूद्ध नाथू सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का मूल अभिलेख प्राप्ति हेतु नियत है।

उक्त मूल अभिलेख एवं मूल दायरा रिजस्टर प्राप्त। मूल अभिलेख एवं मूल दायरा रिजस्टर के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त आपराधिक प्रकरण क्रमांक 135/2008 में पारित निर्णय दिनांक : 14/05/2009 के विरूद्ध न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष लिम्बत अपील क्रमांक 49/09 में लोक अदालत दिनांक : 30/11/2013 को राजीनामा हो जाने के कारण आरोपी नाथू सिंह उर्फ जसंवत सिंह पुत्र भोदू सिंह, निवासी : ग्राम लटकन का पुरा, थाना :— मालनपुर को दोषमुक्त किया जा चुका है। ऐसी दशा में आरोपी नाथू सिंह उर्फ जसंवत सिंह पुत्र भोदू सिंह के अपील प्रकरण में दोषमुक्त हो जाने के कारण उसके विरूद्ध अर्थदण्ड़ की राशि अदायगी संबंधी हस्तगत एम.जे.सी. को चलाये रखने का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता

मूल अभिलेख वापस अभिलेखागार वापस प्रेषित किया जाये।

है। फलतः हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी., गोहद